मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 25, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल, मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15/56/04/21-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर, 2009 पटल पर रखेंगे.

2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-13 गोहद (अ.जा.) से श्री रणवीर जाटव तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-120 तेन्दूखेड़ा से श्री भैयाराम पटेल, जो उपचुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए है, शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

3. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल, संसद सदस्य,
(2) श्री शेर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री राव बीरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) श्री कालीचरण शर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(5) श्री शिव प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री शोभाराम पटेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(8) श्री फूलचंद बाफना, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(9) श्री तारासिंह वियोगी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(10) श्री कचरूलाल जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(11) डॉ. चेतन सिंह वर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
(12) श्री प्रभाष जोशी, वरिष्ठ पत्रकार.

4. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पटल पर रखेंगे.

6. जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, आरिफ अकील, अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में किसानों को खाद बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों से अधिक शुल्क लिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 15 नवम्बर, 2009